सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 592 राँची ,मंगलवार 20 कार्तिक 1936 (श०)
11 नवम्बर, 2014 (ई०)

आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

27 अक्टूबर, 2014

विषयः- झारखण्ड विधान सभा द्वारा गठित पलामू एवं गढ़वा क्षेत्र में सुखाड़ की स्थिति जाँच हेतु विशेष समिति के अनुशंसा के क्रम में पलामू एवं गढ़वा जिले में उत्पन्न हुए सुखाड़ जैसी स्थिति के नियंत्रण हेतु विशेष पैकेज के संबंध में।

संख्या-1694– 1. पूरे राज्य में औसतन 79.3% बारिस हुई है। पलामू एवं गढ़वा जिले में जून, 2014 में क्रमशः 26.6% एवं 20.6% एवं जुलाई में 43.7% एवं 36%, अगस्त में 65% एवं 72.1% तथा सितम्बर में 55.49% एवं 57.02% रही है । इस तरीके से कुल जून से सितम्बर तक पलामू एवं गढ़वा में क्रमशः 49.4% एवं 48.4% बारिस हुई है । इसके परिणाम स्वरूप धान की फसल पर जून एवं जुलाई माह में कम बारिस होने के कारण काफी प्रतिकूल असर पड़ा है क्योंकि धान का बिचड़ा ही तैयार करने में ही काफी समय बीत गया एवं रोपनी विलम्ब से हुई तथा एक वर्षा से दूसरे वर्षा में काफी समय अन्तराल होने के कारण फसल पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

2. विधान सभा की समिति ने अपना प्रतिवेदन-सह-अनुशंसा अपने पत्रांक-2098, दिनांक 9 सितम्बर, 2014 द्वारा दिया है जिसमें कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत आकड़ें को भी वास्तविक नहीं माना है एवं फसल की क्षति काफी अधिक प्रतिवेदित किया गया है । समिति की अनुशंसा के क्रम में मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक-24 सितम्बर, 2014 को एक बैठक विभिन्न विभागीय सचिव के साथ की गयी है एवं कतिपय निर्णय लिये गये हैं जिसका ज्ञापांक-1600, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 द्वारा संसूचित किया गया है। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दोनों प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय सचिवों के साथ दिनाक 10 अक्टूबर, 2014 को किया गया एवं मंत्रिपरिषद् में इस प्रतिवेदन पर विमर्श कर कतिपय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया जिसका कंडिका-6 (i) से (xvii) किया गया है। यह मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्रांक-cs02/वि॰-09/02-1235, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 द्वारा मंत्रिपर्षद की बैठक 10 अक्टूबर, 2014 को मद सं॰-34 द्वारा निर्णय हुआ है ।

3. राज्य मंत्रिपरिषद् में विधान सभा की समिति की अनुशंसा के क्रम में पलामू एवं गढ़वा जिले को सुखाड़ घोषित करने की अनुशंसा करती है। आपदा प्रबंधन विभाग तद्नुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करेगा ।

4. पलामू एवं गढ़वा जिले में सुखाड़ जैसी स्थिति के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार के निर्णय के तहत यह निदेश दिया जाता है कि राज्य के सभी संबंधित विभाग/उपायुक्त, पलामू एवं गढ़वा के सुखाड़ जैसी स्थिति वाले क्षेत्रों में निम्नांकित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे-

   (क) भूख से कोई परिवार प्रभावित न हो तथा भूख से किसी की मृत्यु न हो । सुखाड़ के कारण किसी को भूखा नहीं रखा जाय । इस क्रम में पलामू एवं गढ़वा जिले के प्रत्येक पंचायत में 10 क्विंटल चावल रक्षित रखा जाय जिसका वितरण उपायुक्त द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर कंडिका-'ख' की शर्तों के अनुरूप मुफ्त किया जाय।

   (ख) मुफ्त खाद्यान्न 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से ऐसे व्यक्तियों को देय होगा जो किसी प्रकार की पेंशन योजना, अन्त्योदय योजना या अन्नपूर्णा योजना, बी॰पी॰एल॰, Food security act अथवा अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्राप्त हो, से आच्छादित न हो। साथ ही लाभुक भूखमरी से ग्रस्त हो । शहरी क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों को भी यह राहत देय होगा । सक्षम व्यक्ति को मनरेगा में जोड़ा जाय, ऐसे व्यक्ति को प्रारंभ में मात्र एक माह का ही खाद्यान्न दिया जाय । मनरेगा में कार्य मिलने के बाद यह सुविधा

स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

(ग) उक्त खाद्यान्न पर खर्च होने वाली राशि की स्थिति निम्नवत् है:-

क्र॰ सं॰	जिला	पंचायतो की सं॰	खाद्यान्न की मात्रा (क्विं में)	2500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से राशि
1.	पलामू	283	2830	70,75,000/-
2.	गढ़वा	193	1930	48,25,000/-
			कुल-	1,19,00,000/-

यह एक माह का व्यय होगा, अगली फसल आने तक अर्थात् छः माह हेतु कुल व्यय 7,14,00,000/- (सात करोड़ चैदह लाख) रूपये होगा । आवंटन वित्त विभाग के परामर्शानुसार दो-दो माह के आधार पर देय होगा एवं पूर्व का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही अग्रेत्तर व्यय होगा ।

5. पलामू एवं गढ़वा जिले को एक-एक करोड़ रूपये का untied fund (खुला फण्ड) जिले को उपलब्ध कराया जायेगा जिसका व्यय उपायुक्त द्वारा किया जायेगा । उक्त राशि राज्य बजट से भारित होगी । यह सुखाड़ से निपटने के लिए अपरिहार्य स्थिति में व्यय होगा, जो व्यय किसी अन्य अनुमान्य मद/विभाग द्वारा नहीं किया जा सके ।

6. (क) रबी फसल, 2014 के बीज का वितरण कृषि विभाग द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान पर किया जाय । यह अतिरिक्त राशि कृषि विभाग अपने बजट शीर्ष के अधीन ही व्यय करेगा ।

(ख) कृषि विभाग द्वारा संचालित सोलर सिंचाई योजना को विशेष प्राथमिकता से लागू किया जाय ।

(ग) कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि उपकरण योजना को विशेष प्राथमिकता से लागू किया जाय ।

(घ) कृषि विभाग द्वारा drip irrigation एवं micro irrigation को प्राथमिकता पर लागू किया जाय ।

(ड़) कृषि विभाग बागवानी मिशन एवं अन्य योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करें।

7. रोजगार सृजन, स्वरोजगार, कृषि कार्य हेतु Farm Land-Private रैयत भूखण्ड पर drought proofing हेतु MNREGA से कार्य किया जाय।

8. (क) Crop cutting हेतु कृषि-राजस्व-सांख्यिकी में समन्वय हो ताकि actual /correct report हो तथा report timely submit हो ताकि सहकारिता द्वारा crop insurance का सही निर्धारण हो तथा ससमय भुगतान किया जाय ।

(ख) प्रति हेक्टेअर कृषि बीमा की राशि Crop cutting के बाद दिया जा सकता है। सहकारिता विभाग इसमें सक्रिय पहल करेगा एवं अभियान चलाकर ससमय वितरण उपलब्ध कराया जायेगा ।

9. रबी फसल में - KCC वितरण को प्राथमिकता दिया जाय । उपायुक्त/कृषि विभाग/SLBC इसमें विशेष पहल करेंगे ।

10. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा Food Security Act का implementation शीघ्र प्रारंभ किया जाय ।

11. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग मवेशी के चारा उपलब्धता सुनिश्चित करायेगा एवं विभागीय योजनाओं को प्रभावी तरीके से प्राथमिकता पर लागू करेगा ।

12. जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित योजना को प्रभावी तरीके से संचालित किया जाय ताकि पूरे command क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध हो सके । योजनावार/ command क्षेत्र/सिंचाई क्षमता, उपलब्धता का व्यौरा संबंधित Deputy Commissioner को दिया जाय जिसकी monitoring हो ।

13. ऊर्जा विभाग द्वारा विधुत connection की संख्या तथा सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत आपूर्ति की स्थिति सुदृढ़ की जाय । इसकी प्रभावी monitoring की जाय ताकि सिंचाई सुविधा का विस्तार हो ।

14. इन योजनाओं की monitoring विभागीय पत्रांक-1639, दिनांक-13 अक्टूबर, 2014 के अनुरूप गठित प्रमण्डल/ जिला/ प्रखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा की जायेगी ।

15. यह मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-10 अक्टूबर, 2014 को मद संख्या-34 एवं दिनांक-20 अक्टूबर, 2014 को मद संख्या-07 द्वारा निर्णय लिया गया है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 592–50 ।